

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-258/23 - 1403

/पटना, दिनांक-21/10/24

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह भा0प्र0से0  
विशेष सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, उपशीर्ष-0520- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) (एनडीबी), विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य, जिसका विपत्र कोड संख्या-37-4515-00-103-0520 है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) (एनडीबी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

NDB वित्त सहायतार्थ BRRP II "मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना" (अवशेष) Tranche-I के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1 (एक) योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-11, 12, 13 एवं 14 में अंकित राशि के लिए स्तम्भ-15 में अंकित कुल राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

**तालिका-1**

Sl. No.	District	Division	Block	Target habitation name	Survey ID	Target habitation population	Name of the Road		Length (KM)	Construction Amount (in Lacs)	Maintenance Amount (in Lacs)	Contingency Amount (in Lacs)	Land Acquisition Amount (in Lacs)	Administrative Approval Amount
							Start point	End point						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Buxar	Buxar	Itarhi	Primary School Mongalpur	77877	115	Chausa Dhansoi Mongalpur Nonyapur Path ke Bhola Chauhan ke Ghar	Prathmik Vidhyalaya Mongalpur Tak	0.420	54.523	2.620	1.010	28.232	86.385
		Buxar Total		1					0.420	54.523	2.620	1.010	28.232	86.385

2. अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक:- 21.10.2024 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

- I. निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।

8.

- II. कार्यपालक अभियंता (PIU) का दायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करारकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
- III. इन योजनाओं के पंचवर्षीय रख-रखाव की राशि गैर योजना मद शीर्ष-3054 से भारित किया जायेगा।
- IV. प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- V. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जायेगा।
- VI. कार्यों को ससमय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी दोषी पदाधिकारी उतरदायी माने जायेंगे।
- VII. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 05 (पाँच) तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- VIII. इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- IX. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- X. स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि MIS पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
- XI. संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है एवं पूर्व में इन पथों की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है।
- XII. **स्वीकृत योजनाओं की निविदा/पुनर्निविदा ई-निविदा के माध्यम से मुख्यालय द्वारा करायी जायेगी।**
- XIII. स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका एवं NDB से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
- XIV. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त के पूर्व एवं डी0पी0आर0 के साथ Social and Environment से संबंधित प्रपत्र संलग्न कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।
- XV. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, उपशीर्ष-0520-मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) (एनडीबी), विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य, जिसका विपत्र कोड संख्या- 37-4515-00-103-0520 है, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) (एनडीबी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

- (क) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
- (ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि(2), दिनांक-03.01.2008 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों को आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- (ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
3. इस योजनाओं की स्वीकृति, सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक-.....16.10.2024..... को संचिका संख्या:-BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-258/23 के पृष्ठ-.....37...../टि0 पर प्राप्त है।
4. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या:- BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)- 258/23 के पृष्ठ-37...../टि0 पर दिनांक:- 16.10.2024 को विभागीय अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)- 258/23 के पृष्ठ संख्या:-.....37...../टि0 पर दिनांक:- 16.10.2024 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)- 258/23 -1403 /पटना, दिनांक- 21/10/24

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1, पटना/मुख्य अभियंता-4/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव